उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

07.06.22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी के बाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किये जाने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव को पढ़ा गया, सुनिश्चित किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार व डिक्री जारी रहेगा। डिक्री जारी कि तहसीलदार चिड़ावा को अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करी तहसीलदार चिड़ावा पत्रावली फैसल शुमार हो कर दफ्तर किया जावे। वकील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.10.06 13:09:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner